TO BE PUBLISHED IN PART-IV, DELHI GAZETTE, EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT

No. 19(05)/TPT/Sectt/2017/21 **Dated: 29th January, 2018**

NOTIFICATION

Whereas, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make the draft rules of the ***"Delhi Maintenance and Management of Parking Rules, 2017"***, in exercise of the powers conferred by clause (41) of section 2 read with Section 117, sub-section (3) of Section 127 and clause (e) (h) and (i) of sub-section (2) of Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in its application to the National Capital Territory of Delhi and of all other powers enabling it in this behalf, which are hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Delhi on or after expiry of thirty days from the date on which copies of the draft rules, publish in Delhi Gazette containing these draft rules are made available to the public of its publication.

Objections or suggestions in this regard should be addressed to the Secretary-cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9, Under Hill Road, Delhi – 110054 or on e-mail at commtpt@nic.in

DRAFT RULES

Short title, extent, commencement, exemption and applicability. - (i) These rules may be called the "Delhi Maintenance and Management of Parking Rules, 2017".

(ii) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Delhi Gazette.

(iii) They shall, save as expressly provided otherwise, apply to and in relation to all public parking spaces within the National Capital Territory of Delhi owned or managed by all public authorities.

(iv) The rules shall also be applicable in respect of parking places for the use of general public such as Cinema Halls, Hospitals, Malls, Airport etc.

2. Apex Monitoring Committee. -There shall be an Apex Monitoring Committee headed by the Chief Secretary, Government of Delhi, which shall review the proper implementation and compliance of these rules. The committee will meet at least once in every three months. The following shall be the members of Apex Committee:

i. Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Delhi.

ii. Commissioner, Transport, Government of Delhi.
iii. Principal Secretary, Public Works Department, Government of Delhi.
iv. Chairman, New Delhi Municipal Council.
v. Commissioner, South Delhi Municipal Corporation.
vi. Commissioner, North Delhi Municipal Corporation.
vii. Commissioner, East Delhi Municipal Corporation.
viii. CEO, Delhi Cantonment Board.
ix. Special Commissioner (Traffic), Delhi Police.
x. Commissioner (Land), Delhi Development Authority.
xi. Representative of Environment Pollution (Prevention & Control) Authority.
xii. Representative of Airport Authority of India.
xiii. Special Commissioner (Transport) – Member Secretary

3. Area Parking Plans. –(1) The New Delhi Municipal Council, South Delhi Municipal Corporation (SDMC), North Delhi Municipal Corporation (NDMC) and East Delhi Municipal Corporation (EDMC), Delhi Development Authority (DDA) and Delhi Cantonment Board (hereinafter called as civic agencies) which are responsible for making arrangements of parking in their respective jurisdiction, shall prepare and implement local area specific / integrated parking plans (Area Parking Plans) as envisaged in the Master Plan for Delhi (MPD) 2021 and in accordance with these rules.

(2)The Deputy Commissioners of zones of MCDs, Chairman of New Delhi Municipal Council, Commissioner (Land), DDA and CEO of the Cantonment Board shall be responsible for preparation and implementation of the Area Parking Plans for all areas in their respective jurisdictions.

(3)The parking plans shall be prepared within four months of the notification of these rules. This will require interface with all agencies in possession of land parcels within which public parking takes place, such as Universities, Hospitals, Malls, Cinema Halls, and Airports etc. The local Traffic Police shall also be consulted in the process of plan preparation. The Area Parking Plans shall be notified and shall also be published on the website of respective civic agency after obtaining the approval of the Apex Monitoring Committee. The Apex Monitoring Committee may grant an extension of up to two months for preparation of plan.

(4)Any new area developments (Mall, High-rise building etc.) requiring the Environment Impact Assessment and any fresh notification of commercial/ mixed land use streets shall only be carried out after the Area Parking Plan is suitably modified, based on a traffic impact assessment, to incorporate its requirements.

(5)While preparing the Parking Area Management Plans as per MPD-2021 provisions, the following must be considered:

(a) The on-street spaces need to be utilised for the general convenience of users in the following order of priority:

(i) Pedestrians/ Cyclists

(ii) Mass Public Transit (buses, metro) and related multi-modal integration facilities
(iii) Emergency vehicles
(iv) Differently-abled access and parking facilities
(v) Para transit pick up & drop
(vi) Hawker/ vendor zone with seating/ resting areas
(vii) Personal motor vehicle pick up & drop
(viii) Personal motor vehicle parking within the building being used by the vehicle occupant
(ix) Priced short-duration on-street parking
(x) Overnight parking for Transport Vehicles

(b) The Area Parking Plans shall include arrangements both for commercial /non-residential areas and residential areas.

(c) The requirements of schools at opening and closing times shall be given special attention in view of the bulk movement in a short time span which can cause congestion and can be a hazard for the children. Comfortable and safe pick up and drop arrangements are to be prioritised over long term parking.

(d) The parking arrangements must, on no account, impinge on the free movement of traffic. No-parking zones and spaces are to be clearly defined in the plan and on the ground through appropriate signages for information of the general public and for ease of enforcement. Siting of on-street and off-street parking and other design aspects shall be as per the subsequent provisions in these Rules.

(e) The civic agencies shall also endeavour to earmark and provide adequate number of spaces for the temporary parking of vehicles seized and impounded for violation of these rules by the enforcement agencies.

4. Delegation of Powers to the officers of the civic agencies. –In addition to the officers of the Delhi Traffic Police and Transport Department, the enforcement powers for challaning of vehicles and to realize fine under the Motor Vehicles Act, 1988 will also be exercised by such officers of the civic agencies (not below the rank of Inspector / Head Clerk) in the manner and to the extent, as may be prescribed by the State Government.

5. Parking Fees & Conditions of Parking Contracts. - (1) A Base Parking Fee (BPF), will be determined by the Apex Monitoring Committee on the basis of the recommendation received from a Committee constituted for this purpose under the chairmanship of Commissioner (Transport), called the Base Parking Fee Committee. The Committee will have the following members:

(a) Representative of New Delhi Municipal Council.
(b) Representative of Urban Development Department, Government of Delhi.
(c) Representative of each Municipal Corporation in Delhi.
(d) Representative of Delhi Development Authority.

(e) Representative of Environment Pollution (Prevention & Control) Authority.
(f) Representative of Traffic Police.

(ii) The Base Parking Fee committee would also recommend a general set of multipliers for various types of parking.

(iii) Recommendations for revision of the Base Parking Fee will be made by the BPF Committee every year.

(iv) This committee shall also recommend a set of general conditions for parking management and contracts, to be placed before the Apex Monitoring Committee for adoption, so that these can be uniformly applied across all the civic agencies.

(v) This committee shall deliberate on and give its recommendations on any other subject related to parking which may be referred to it by the Apex Monitoring Committee.

(2) The civic agencies will determine parking fees for various locations and facilities (surface/ off site) in multiples of the Base Parking Fee.

(i) On-street parking for the first hour would be priced at least twice as much as off-street parking.
(ii) On-street parking fee will increase exponentially with duration to discourage long duration of on-street parking.
(iii) Dynamic pricing mechanism such as peak and off-peak fees and exponential increase per hour of use would be used to moderate parking demand.
(iv) Long term off-street parking space for shopkeepers, metro users, residents, etc. could be priced though monthly passes or have token systems.

Provided that the multiples shall be doubled in case of Severe + or emergency levels of ambient air quality under the Graded Responses Action Plan.

(3)The civic agencies will endeavour to utilise latest technology for setting up parking spaces; examples being RFID tags, on-street parking meters, automated boom barriers, computerised parking slips with timers, and so on. This will be implemented to assess parking demand; reduce parking violation with parking meters; allow mobile payment; manage differential rates; inform users about parking availability.

(4)On-street and off-street parking management in an area should preferably be assigned to a single agency for better financial viability and smooth implementation.

6. Management of on-street parking. –(1)The parking space provided within the buildings / building complexes as per the Building bye-laws mentioned in MPD – 2021 must be fully utilized before permitting any on-street parking for the occupants/ visitors.

(2) On-street parking spaces shall be designed as per UTTIPEC (Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre) guidelines and IRC: SP:

12:2015. The design shall minimise conflict between parking, walking and cycling. Pick up and drop facilities shall be prioritised over the parking facilities.

(3) On-street parking shall not be allowed at least upto 50 meter from intersections on each arm of road. The parking shall be provided at a reasonable safe distance from the pedestrian crossings and gates of fire stations, electric substations and hospitals.

(4) The civic agencies will adopt parallel parking approach in case of four wheelers and three wheelers and perpendicular parking approach for the two-wheelers and bicycles.

(5) Para-transit vehicles and Non-Motorised Vehicles (NMV) shall be given priority in the on-street parking spaces.

(6) Short duration parking shall be prioritised and long duration parking shall be discouraged in the on-street parking spaces.

7. Parking for differently-abled persons. -Special provision for parking for differently abled will be made as per Bureau of India Standards, National Building Code of India of 2016, IRC:SP:12:2015 and Harmonized Guidelines and Space Standards for barrier free built environment for persons with disability and elderly persons, 2016 of Ministry of Urban Development, Government of India.

8. Management of off-street and multi-level car parking. –(1) The off-street parking spaces shall be designed to comply with design standards that also include dimension and circulation requirements as per the IRC:SP:12:2015, NBCC and BIS standards.

(2) Long duration parking should be located only in off- street facilities. In case, the off-site facility is more than 200 meters away, adequate shuttle service by non-motorized / clean fuel based vehicles shall be provided, with charges sub-sumed within the parking fees.

(3) The vehicles of shopkeepers, building owners, local workers, office goers and other users of long duration parking are to be parked at such off-street parking facilities only.

(4) Multi-story parking structures and stack parking shall be taken up for construction according to the demand assessment of area parking plan. The shortfall of supply of parking space shall be compensated through multi level/ stack parking.

(5) Preference will be given to stack parking / portable type of parking which is likely to be less costly and may also be re-useable at a different location depending on changing needs. The granting of Viable Gap Funding (VGF) may also be considered by the civic agencies as per requirement.

(6) Any multilevel parking with permanent structure shall be so designed that it can be put to any other use considering the future requirement.

(7) Commercial / office space, shall be permitted in the multilevel parking complexes as per the master plan / bye laws.

(8) No surface parking of duration of more than one hour shall ordinarily be allowed within 500 meter of a multi-level / stack parking. The 500 meter radius of the multi-level facility will be designated as 'no-parking' zone for all streets.

(9) In case, some essential on-street parking has to be provided within the 500-meter zone, it will be priced exponentially, at least three times the on-street Parking rates.

(10)Parking structures shall not be constructed in green areas and neighbourhood parks as provided in the MPD 2021.

(11)Wherever possible, off-street parking facilities shall be shared between the neighbouring areas which may have different peak hours of demand. For example, an office facility that is empty at night may be used by Cinema Halls, Restaurants or neighbouring residences in the evening as a paid shared parking facility, as may be arranged by the civic agency after mutual consultation with the user communities.

9. Overnight parking of Transport Vehicles. –(1) The civic agencies will identify roads and spaces for granting permission for overnight parking of Transport Vehicles. The parking of vehicles would be permitted during night hours only, upon payment, provided that such roads and spaces will be away from the residential areas and parking should not hinder the smooth flow of traffic.

(2) The civic agencies will manage the parking on these notified roads and spaces in an organised manner.

(3) No night-time parking of heavy and medium Transport Vehicles will be allowed except on the notified roads and spaces.

10. Requirement of parking proof for Transport Vehicles. -From the date of an appointed day, notified at least three months in advance, the permits of Transport Vehicles will be granted or renewed only upon submission of proof of parking space for such vehicles.

Provided that the proof of parking space shall be only from an authorized parking contractor of civic agencies and shall be for a duration of at least one year.

11. Parking in railway stations, airports and Delhi metro. –(1) Airports, railway stations, metro stations, ISBTs and other mass transit points shall provide parking in accordance with these rules and in consultation with the civic agency of the area in which they are situated.

(2) They shall follow appropriate design guidelines for easy transfer to other connecting systems, including buses and para- transit, with adequate pedestrian access.

12. Parking in residential streets and lanes. –(1) The Area Parking Plan made by civic agencies will include, in their scope, parking arrangements within residential areas. The plan within such areas shall be made in consultation with the residents/ Resident Welfare Associations.

(2) Parking will be allowed in demarcated areas on public streets and open surfaces in residential areas against parking charges to be decided by civic agencies on the basis of the Base Parking Fee. The civic agencies will have consultation with Residential Welfare Associations (RWAs) before deciding the parking charges in residential areas.

(3) The mode of management of parking in residential areas including outsourcing of the collection of parking fees will be decided by the civic agencies in consultation with RWAs.

(4) The parking charges and management mechanism must be designed to prevent parking spill over from neighbouring commercial areas to prevent congestion and preserve safety and privacy of the residents. In case the parking in a residential area is used by visitors to a commercial establishment within that area, such parking shall be separately marked and charged for.

(5) In case of residential buildings, where stilt parking has been built as per bye-laws and yet such residents park their vehicles on public streets, the parking charges shall be twice the normal charges fixed for other residents.

(6) The civic agencies will consider developing open areas, other than designated green areas / parks, near the colonies as parking lots on payment basis. Regular shuttle services may be prescribed as a part of parking facility, the charges for which will be included in the parking fees.

(7) Further, the owners of vacant plots in the residential colonies should be authorized for use of these plots as parking places. Upon permission to use such vacant plot as multi-level parking under building bye laws, such plots can be used as such for that purpose.

(8) Parking on footpaths will be strictly prohibited and civic agencies will tow such illegally parked vehicles.

(9) On all lanes and streets, a lane must be earmarked for unhindered movement of emergency vehicles like ambulance, fire tenders police vehicles, etc. No parking will be allowed on this lane.

13. Charging Facilities for Electric Vehicles. –(1) The civic agencies will identify and provide exclusive night parking places for the purpose of parking of E-rickshaws and other electric vehicles. A facility of legal charging of such vehicles shall also be made available at these parking places.

(2) General parking spaces will also be provided with charging facilities for electric vehicles as per deemed requirement, which is likely to increase over time.

14. Utilisation of parking revenue. - The civic agencies shall endeavour to utilise the parking revenue for local development works related to safety of pedestrians, NMV lanes, road safety and development of parking space within their jurisdiction.

15. Enforcement of No-Parking Zones and penalty for over stay in authorised parking areas. - (1) All illegally parked vehicles, including those parked in No-Parking Zones and overstaying in authorised parking areas, shall be seized and removed and penalty shall be charged under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988.

(2) In case of illegal parking on roads with ROW or 60 ft. and above, the Delhi Traffic Police shall be the primary agency for towing away the vehicle. In case of other roads and spaces, the civic agencies shall be responsible to tow away the vehicle and to impose penalty.

16. Junk vehicles. –(1) Any junk vehicle (of age more than 15-years for petrol and CNG vehicles and 10 years for diesel vehicles) found parked on public street will be impounded and will be released only after submission of proof of parking for that junk vehicle and undertaking to this effect that the vehicle would not be plied on roads in Delhi in addition to the payment of fine under the Motor Vehicles Act, 1988 / Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as the case may be.

(2) Any junk vehicle found parked in roads with ROW less than 60 feet shall be seized by the civic agencies. Such vehicles if found parked on roads with ROW of 60 feet and above shall be seized by Traffic Police or the joint teams of traffic police and civic agencies.

17. Towing Charges. –(1) In case a vehicle is parked at a place where the parking is legally prohibited or found committing a violation of any provision of MV Act, 1988 and rules thereof and the vehicle is removed by a towing service or impounded, as the case may be, the towing charges including the cost of manpower and the parking /custody charges for the impounded vehicle shall be as under: -

S.No.	Category of vehicle	Towing charges	Parking / Custody charges per day or part thereof (after the expiry of 48 hours from the towing/impounding of the vehicle)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Two wheeler/TSR/ E-Rickshaw	Rs.200/-	Rs.200/-
2.	Light passenger vehicle (Car, Jeep, Van etc.)	Rs.400/-	Rs.500/-
3.	Light Goods Vehicle	Rs.1000/-	Rs.1000/-
4.	Medium passenger vehicle, Heavy passenger vehicle, Medium goods vehicle Heavy goods vehicle	Rs.1500/-	Rs.1500/-
5.	Multi axle trailers	Rs.2000/-	Rs.2000/-

Provided that the charges for safe custody of the vehicle beyond seven days shall be twice the above amount. In case, the impounded/ towed away vehicle is not got released within a period of ninety days, a notice of fifteen days shall be served to the registered owner as per the recorded address in the registration certificate to get the vehicle released within fifteendays. If the registered owner fails to get the vehicle released within the period of notice, such vehicle shall be put to public auction by the impounding/ towing agency.

By order and in the name of
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(Varsha Joshi)
Secretary-cum-Commissioner (Transport)
Dated 29th January **2018**

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110 054.

सं.फा. 19(05)/परिवहन/सचिवालय/2017/21 दिनांक: 29.01.2018

अधिसूचना

जबकि **"दिल्ली में पार्किंग के अनुरक्षण एवंम प्रबंधन नियम, 2017"** का निम्न प्रारूप, जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 की उपधारा 2 के खंड (ड़) (ज) एवं (झ) तथा धारा 127 की उपधारा 3, धारा 117 के साथ पठित धारा 2 के खंड 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये इसके अनुप्रयोग तथा इसके लिए प्रदत्त सभी अन्य शक्तियों के तहत एतद्द्वारा इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ इस अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) द्वारा अपेक्षितानुसार प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिन की अवधि बीतने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

इस संबन्ध में आपत्तियां या सुझाव सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054 या ई मेल commtpt@nic.in पर भेजी जा सकते है।

प्रारूप नियम

1. **लघु शीर्षक, विस्तार, प्रारम्भ, छूट एवं उपयुक्तता.–**
   (1) ये नियम "दिल्ली में पार्किंग के अनुरक्षण एवंम प्रबंधन नियम, 2017" कहलाएंगे।
   (2) ये दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
   (3) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के स्वामित्व या नियंत्रण में सभी सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के संबंध में लागू होगे, यदि ये स्पष्ट रूप से कही अन्यथा ना बताये गये हो।
   (4) सामान्य जनता द्वारा प्रयोग में आने वाले पार्किंग स्थान जैसे कि सिनेमा हॉल, अस्पताल, मॉल, एयरपोर्ट इत्यादि में भी ये नियम लागू होंगे।

2- **शीर्ष निगरानी समिति.**– मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च निगरानी समिति होगी, जो इन नियमों के समुचित कार्यवयन और अनुपालन की समिक्षा करेगी। समिति हर तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। निम्नलिखित शीर्ष समिति के सदस्य होगे :

(i) प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार।

(ii) आयुक्त, परिवहन, दिल्ली सरकार

(iii) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार

(iv) अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

(v) आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

(vi) आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

(vii) आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

(viii) सी ई ओ, दिल्ली छावनी बोर्ड

(ix) विशेष आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस

(x) आयुक्त, (भूमि), दिल्ली विकास प्राधिकरण

(xi) पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के प्रतिनिधि

(xii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि

(xiii) विशेष आयुक्त (परिवहन) – सदस्य सचिव

3. **एरिया पार्किंग प्लान. –** (1) नई दिल्ली नगर परिषद, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एस डी एम सी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन डी एम सी) तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई डी एम सी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) तथा दिल्ली छावनी बोर्ड (इसके पश्चात् जिन्हें सिविक एजेंसी कहा जाएगा) जो अपने कार्य क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, वे दिल्ली की मुख्य योजना–2021 (एम पी डी–2021) तथा इन नियमों के अनुरूप स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट / संघटित पार्किंग प्लान तैयार एवं कार्यान्वित करेंगे।

(2) नगर निगमों के जोनों के उपायुक्त, नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष, आयुक्त (भूमि), डी डी ए तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के सी ई ओ अपने से संबंधित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के लिए एरिया पार्किंग प्लान तैयार एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) इन नियमों की अधिसूचना के चार माह के अंदर पार्किंग की योजनाए बनाई जाएगी। इसके लिए उन सभी एजेंसियों से विचार–विमर्श की आवश्यकता होगी जिनके कब्जे में भूमि है तथा जहां सार्वजनिक पार्किंग होती है जैसे – विश्वविद्यालय, अस्पताल, मॉल, सिनेमा हॉल तथा एयरपोर्ट इत्यादि। प्लान तैयार करते समय स्थानीय यातायात पुलिस से भी विचार–विमर्श किया जाएगा। शीर्ष निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एरिया पार्किंग प्लान को अधिसूचित किया जाए और इसे संबंधित सिविक एजेंसी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाए। शीर्ष निगरानी समिति योजनाए तैयार करने के लिए दो माह तक का विस्तार प्रदान कर सकती है।

(4) क्षेत्र का कोई भी नया विकास (मॉल, हाई–राइज बिल्डिग इत्यादि) जिसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अपेक्षित है और वाणिज्यिक/ मिश्रत भूमि उपयोग सड़को की नई अधिसूचना यातायात प्रभाव आकलन पर आधारित एरिया पार्किंग प्लान में उपयुक्त संशोधन के उपरान्त ही की जाएगी ।

(5) एम पी डी –2021 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग एरिया प्रबंधन प्लान तैयार करते समय निम्न पर अवश्य विचार किया जाएगा :

(क) ऑन स्ट्रीट रिक्त स्थानों को प्रयोगकर्त्ताओं की सामान्य सुविधा के अनुसार निम्न प्राथमिकता के अनुसार उपयोग किया जाएगा :

(i) पैदल यात्री /साईकिलिस्ट।

(ii) मास पब्लिक ट्रांजिट (बस, मेट्रो) तथा संबंधित मल्टी–मॉडल एकीकरण सुविधाएं।

(iii) आपातकालीन वाहन।

(iv) दिव्यांगो के लिए उपयुक्त पार्किंग सुविधाए।

(v) पैरा– ट्रांजिट पिक अप एवं ड्रॉप हेतु।

(vi) साइटिंग /रैस्टिंग एरिया सहित हॉकर /वैंडर जोन।

(vii) व्यक्तिगत मोटर वाहन के लिए पिक अप एवं ड्रॉप हेतु।

(viii) बिल्डिंग के अंदर व्यक्तिगत मोटर वाहन पार्किंग, जोकि वाहन मालिक द्वारा प्रयोग की जाएगी।

(ix) लघु अवधि के लिए ऑन स्ट्रीट पर शुल्क सहित पार्किंग।

(x) परिवहन वाहनों के लिए रात्रि पार्किंग।

(ख) एरिया पार्किंग प्लान में वाणिज्य /गैर आवासीय क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र – दोनों के लिए व्यवस्थाएं सम्मिलित होंगी।

(ग) स्कूल खुलने एवं बंद होने के समय स्कूल की आवश्यकता के अनुसार विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि अल्प अवधि में अत्यधिक आवागमन होता है जिससे भीड़–भाड़ हो सकती है और बच्चों के लिए जोखिम हो सकता है। दीर्घकालिक पार्किंग में आरामदेह एवं सुरक्षित पिक अप एवं ड्रॉप व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।

(घ) पार्किंग की व्यवस्था किसी भी परिस्थिती में यातायात के मुक्त आवाजाही को बाधित न करे। आम जनता की जानकारी एवं प्रवर्तन में आसानी के लिए नो–पार्किंग जोन एवं क्षेत्रों को योजना एवं जमीन पर उचित संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाए। ऑन –स्ट्रीट तथा ऑफ स्ट्रीट पार्किंग एवं अन्य डिजाइन पहलुओं का इन नियमों में अनुवर्ती प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(ड) प्रवर्तन एजेंसी द्वारा इन नियमों के उल्लंघन के लिए जब्त एवं कुर्क वाहनों की अस्थायी पार्किंग के लिए सिविक एजेंसी पर्याप्त स्थान को भी चिन्हित करेगी।

4. **सिविक एजेंसी के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन.**– यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा वाहनों को चलान करने की प्रवर्तन शक्ति तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत जुर्माना वसूलने की शक्ति सिविक एजेंसी के ऐसे अधिकारियों (जो निरीक्षक/प्रधान लिपिक के रैंक से कम न हो) द्वारा भी की जाएगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जिस हद तक निर्धारित किया गया हो।

5. **पार्किंग शुल्क एवं पार्किंग ठेको की शर्तें .**– (1) मूल पार्किंग फीस (बी पी एफ) का निर्धारण, इस उद्देश्य के लिए आयुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में गठित समिति, जोकि मूल पार्किंग फीस समिति कहलाएगी, से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर शीर्ष निगरानी समिति द्वारा किया जाएगा । इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के प्रतिनिधि ।

(ख) शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि

(ग) दिल्ली के प्रत्येक नगर निगम के प्रतिनिधि ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि

(ड) पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के प्रतिनिधि

(च) यातायात पुलिस के प्रतिनिधि

(ii) मूल पार्किंग फीस (बी पी एफ) समिति पार्किंग के विभिन्न प्रकारों के लिए गुणकों के एक सामान्य सेट की सिफारिश भी करेगी।

(iii) मूल पार्किंग फीस (बी पी एफ) समिति द्वारा प्रति वर्ष मूल पार्किंग फीस के संशोधन की सिफारिशें की जाएंगी।

(iv) यह समिति पार्किंग प्रबंधन एवं ठेको के लिए सामान्य शर्तों की भी सिफारिशें करेगी, जिसे अपनाने हेतु शीर्ष निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इसे सभी सिविक एजेंसियों में समान रूप से लागू किया जा सके।

(v) यह समिति शीर्ष निगरानी समिति द्वारा अग्रेषित किये गये पार्किंग से संबंधित अन्य विषयों पर भी विचार कर अपनी सिफारिश देगी।

(2) सिविक एजेंसीयों द्वारा विभिन्न लोकेशनों एवं सुविधाओं (सर्फेस /ऑफ साइट) के लिए मूल पार्किंग फीस के गुणकों में पार्किंग फीस का निर्धारण करेगी।

(i) पहले घंटे के लिए ऑन स्ट्रीट पार्किंग की दर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग से कम से कम दुगनी होगी।

(ii) अवधि के अनुसार ऑन स्ट्रीट पार्किंग फीस तेजी से बढ़ेगी ताकि लंबी अवधि तक ऑन स्ट्रीट पार्किंग को हतोत्साहित किया जा सके।

(iii) गतिशील मुल्य निर्धारण तंत्र, जैसे पीक एवं ऑफ पीक शुल्क तथा प्रयोग के प्रति घंटे घातांक वृद्वि, का पार्किंग की मांग को मॉडरेट करने के लिए उपयोग किया जायेगा।

(iv) दुकानदारों, मेट्रो प्रयोगकर्त्ताओ, निवासियों इत्यादि के लिए मासिक पास या टोकन सिस्टम द्वारा दीर्धकालिक ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस दिया जाए।

बशर्ते कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत वायु की गुणवत्ता का गंभीर + या आपात स्तर के मामले में गुणाक दुगने हो जाएगे।

(3) सिविक एजेंसी पार्किंग स्थानों को स्थापित करने के लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग का प्रयास करेंगी। उदाहरण के लिए– आर एफ आई डी टैगस प्रारंभ करना, ऑन स्ट्रीट पार्किंग मीटर, आटोमेटेड बूम बैरियर और टाईमर के साथ कंप्यूटरीकृत पार्किंग स्लिप, इत्यादि। ये पार्किंग की मांग के आकलन के लिए, पार्किंग उल्लंघन को कम करने के लिए पार्किंग मीटर का प्रयोग,

मोबाइल भुगतान की सुविधा, अंतर दरों का प्रबंधन एवं पार्किंग उपलब्धता के बारे में प्रयोगकर्ता को सूचित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगे।

(4) बेहतर वित्तीय व्यवहार्यता तथा सुगम कार्यान्वयन के लिए एरिया में ऑन स्ट्रीट एवं ऑफ स्ट्रीट पार्किंग प्रबंधन संभवतः एक एजेंसी को दिया जाए।

6. **ऑन स्ट्रीट पार्किंग का प्रबंधन.**–: (1) अधिभोक्ता/आगुंतक के लिए किसी तरह की ऑन स्ट्रीट पार्किंग की अनुमति देने से पूर्व एम पी डी–2021 में उल्लेखित बिल्डिंग उप नियमों के अनुसार बिल्डिंग /बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के अंदर पार्किंग की जगह उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) यूनिफाइड ट्रैफिक एण्ड ट्रांसपोटेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग) सेंटर के दिशा निर्देशों तथा आई आर सी :एस पी:12:2015 के अनुसार ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्पेस डिजाइन किया जाए। डिजाइन पार्किंग, पैदल एवं साईकलिंग के बीच संघर्ष को कम करेगा। पिक अप एवं ड्राप सुविधा को पार्किंग सुविधा के स्थान पर प्राथमिकताा दी जाएंगी।

(3) सड़क के दोनों ओर इंटरसेक्शन से कम से कम 50 मीटर तक ऑन स्ट्रीट पार्किंग की अनुमति न दी जाए। पैदल पार पथ तथा फायर स्टेशन, इलेक्ट्रीक सब–स्टेशन तथा अस्पताल के गेट से उचित सुरक्षित दूरी पर पार्किंग उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) सिविक एजेंसियां फोर व्हीलर तथा थ्री व्हीलर के मामले में समानांतर पार्किंग एप्रोच तथा दो–पहिया एवं साईकलों के लिए लम्बत पार्किंग एप्रोच को अपनाएंगे।

(5) ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्पेस में पैरा–ट्रांजिट वाहनों एवं गैर मोटर चालित वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्पेस में अल्प अवधि पार्किंग को प्राथमिकता दी जाए और लंबी अवधि पार्किंग को हतोत्साहित किया जाएगा।

7. **दिव्यांगो के लिए पार्किंग.**– भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड 2016, आई आर सी : एस पी : 12:2015 तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगों तथा वृद्धों के लिए बैरियर फ्री पर्यावरण के लिए हारमोनाइजड दिशानिर्देशों व स्पेस मानक नियम, 2016 के अनुसार विशेष प्रावधान किया जाएगा।

8. **ऑफ स्ट्रीट तथा मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रबंधन.**— (1) ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस को डिजाइन करते समय डिजाइन मानको जिसमें आई आर सी : एम पीः 12:2015 तथा एन बी सी सी तथा बी आई एस मानकों के अनुसार डायमेंशन एवं सर्कुलेशन को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(2) लंबी अवधि की पार्किंग केवल ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सुविधा में सम्मिलित की जाए। यदि ऑफ – साइट सुविधा 200 मीटर से ज्यादा दूर हो तो वहां पर नॉन–मोटराइजड /स्वच्छ ईधन आधारित वाहन द्वारा पर्याप्त शटल सर्विस उपलब्ध कराई जाए, जिसका प्रभार पार्किंग फीस में सम्मिलित हो।

(3) दुकानदारों, बिल्डिंग मालिकों, स्थानीय वर्करों, ऑफिस जाने वालों तथा लंबी अवधि की पार्किंग के अन्य प्रयोगकर्त्ताओं के वाहनों को केवल ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सुविधा में पार्क किया जाए।

(4) एरिया पार्किंग प्लान के मांग आकलन के अनुसार मल्टी–स्टोरी पार्किंग स्ट्रक्चर तथा स्टैक पार्किंग का निर्माण किया जाए। पार्किंग स्पेस की सप्लाई की कमी को मल्टी लेवल /स्टैक पार्किंग के माध्यम से दूर किया जाए।

(5) पार्किंग के स्टैक पार्किंग /पोर्टेबल टाइप को वरियता दी जाए जोकि कम महंगी होती है और जो परिवार्तित आवश्यकता पर विभिन्न लोकेशनों पर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार सिविक एजेंसी द्वारा व्यवहार्य अंतर वित पोषण (वी जी एफ) प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

(6) स्थायी ढांचे वाली किसी भी मल्टीलेवल पार्किंग को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका कोई अन्य उपयोग किया जा सके।

(7) मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्पलेक्स में वाणिज्य/ऑफिस स्पेस की अनुमति मास्टर प्लान /उप नियमों के अनुसार दी जाए ।

(8) मल्टी–लेवल/स्टैक पार्किंग से 500 मीटर की दूरी तक सामान्यतः एक घंटे से अधिक अवधि की सर्फेस पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मल्टी–लेवल सुविधा के 500 मीटर रेडियस की सभी स्ट्रीटस को 'नो–पार्किंग जोन के रूप में नामित किया जाएगा।

(9) यदि 500 मीटर जोन के अंदर ऑन स्ट्रीट पार्किंग उपलब्ध कराना अनिवार्य है तो इसकी पार्किंग दर ऑन–स्ट्रीट पार्किंग दर से कम से कम तीन गुना होगी।

(10) हरित क्षेत्र एवं पार्कों के आसपास पार्किंग ढांचे का निर्माण न किया जाए जैसा कि एम पी डी – 2021 में प्रावधान है।

(11) जहां तक संभव हो, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सुविधा को आस–पास के क्षेत्रों के बीच सांझा किया जाए जहां डिमांड के भिन्न–भिन्न पीक समयकाल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई ऑफिस पार्किंग सुविधा जोकि रात में खाली होती है का प्रयोग सिनेमा घर, रेस्तरां या शाम को आस–पास

के निवासियों द्वारा पेड शेयरड पार्किंग सुविधा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जोकि सिविक एजेंसी द्वारा प्रयोगकर्त्ता समुदाय के साथ आपसी विचार विमर्श द्वारा किया जा सकता है।

9. **परिवहन वाहनों की ओवरनाइट पार्किंग.–** (1) सिविक एजेंसी परिवहन वाहनों की ओवरनाइट पार्किंग की अनुमति प्रदान करने के लिए सड़कों एवं स्पेस की पहचान करेंगी। भुगतान आधार पर केवल रात्रि के समय वाहनों को पार्क करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि ऐसी सड़के एवं स्पेस आवासीय क्षेत्र से दूर हों और पार्किंग से यातायात का सुगम प्रवाह बाधित न हो।

(2) सिविक एजेंसी इन अधिसूचित सड़कों एवं स्पेस पर सुनियोजित ढंग से पार्किंग व्यवस्था करेंगी।

(3) अधिसूचित सड़कों एवं स्पेस को छोड़कर रात्रि के समय भारी एवं मझौले परिवहन वाहनों को पार्किंग की अनुमति नही दी जाएगी।

10. **परिवहन वाहनों के लिए पार्किंग साक्ष्य की आवश्यकता.–** नियत दिन की तिथि से, कम से कम तीन माह अग्रिम रूप से अधिसूचित, ऐसे वाहनों के लिए पार्किंग स्पेस का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही परिवहन वाहनों का परमिट प्रदान या नवीकरण किया जाएगा।

बशर्ते कि पार्किंग स्पेस का साक्ष्य सीविक एजेंसी के प्राधिकृत पार्किंग ठेकेदार का हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि का हो।

11. **रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और दिल्ली मैट्रो में पार्किंग.–** (1). हवाई अड्डें, रेलवे स्टेशन, मैट्रो स्टेशन, बस अड्डें और अन्य मास ट्रांजिट स्थान, इन नियमों के अनुसार सम्बन्धित सिविक एंजेन्सी के साथ विचार विमर्श कर पार्किंग की सुविधा प्रदान करेगा।

(2). वे पर्याप्त पैदल उपयोग के साथ बसों और पैरा–पारगमन सहित अन्य संयोजित प्रणालियों के लिए आसान हस्तांरण के लिए उपयुक्त डिजाइन दिशा निर्दशों का पालन करेगें।

12. **आवासीय स्ट्रीटों एवं लेनस में पार्किंग.–** (1) सिविक एजेंसी द्वारा बनाए गये एरिया पार्किंग प्लान में आवासीय क्षेत्र के अंदर पार्किंग व्यवस्थाएं सम्मिलित होंगी। ऐसे क्षेत्रों का पार्किंग प्लान निवासियों /आवास कल्याण संघो के साथ विचार–विमर्श करने के उपरांत बनाया जाएगा।

(2) आवासीय क्षेत्रो की सार्वजनिक स्ट्रीट पर सीमांकित क्षेत्रों तथा खुले क्षेत्रों में सिविक एजेंसीयों द्वारा निर्धारित पार्किंग प्रभार, जोकि मूल पार्किंग फीस के आधार पर निर्धारित होगा, पार्किंग की

अनुमति होगी। सिविक एजेंसी आवासीय क्षेत्र में पार्किंग प्रभार निर्धारित करने से पूर्व आवासीय कल्याण संघ (आर डब्ल्यू ए) के साथ विचार विमर्श करेंगी।

(3) आवासीय क्षेत्र में पार्किंग फीस के संग्रहण की आउटसोर्सिंग सहित पार्किंग के प्रबंधन की प्रक्रिया का निर्धारण सिविक एजेंसी द्वारा आर. डब्ल्यू. ए. के साथ विचार विमर्श कर किया जाएगा।

(4) पार्किंग प्रभार एवं प्रबंधन प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया जाए जिससे कि आसपास के वाणिज्य क्षेत्र से पार्किंग बिखराव न हो और निवासियों की सुरक्षा व एकांत को सुनिश्चित करने हेतु एवं भीड़–भाड़ से परेशानी न हो। यदि उस आवासीय क्षेत्र में आगंतुको द्वारा पार्किंग किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए उपयोग किया जाता है तो ऐसी पार्किंग को चिह्नित किया जाए और प्रभार वसूला जाए।

(5) आवासीय बिल्डिंग के मामले में जहां उप नियमों के अनुसार स्टिल्ट पार्किंग बनाई गई है और अभी भी निवासी अपने वाहन सार्वजनिक सड़क पर खड़ा कर रहे हैं, वहां ऐसे निवासियों के लिए पार्किंग प्रभार अन्य निवासियों के लिए नियत सामान्य प्रभार से दुगना होगा।

(6) सिविक एजेंसी कालोनी के नजदीक निर्धारित हरित क्षेत्र/पार्क के अलावा ओपन एरिया को भुगतान आधार पर पार्किंग लॉट के रूप में विकसित करने हेतु विचार करेंगे। पार्किंग सुविधा के रूप में नियमित शटल सर्विस नियत की जाए, जिसका प्रभार पार्किंग फीस में सम्मिलित हो।

(7) इसके अलावा, आवासीय कॉलोनी में खाली प्लाट के मालिकों को इन प्लाट को पार्किंग स्थल के रूप में प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया जाए। अनुमति के अलावा बिल्डिंग उप नियमों के अंतर्गत ऐसे प्लाट को इस उद्देश्य के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(8) फुटपाथ पर पार्किंग की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी और सिविक एजेंसी अवैध रूप से पार्क ऐसे वाहनों को उठा लेगी (टो करेंगी)।

(9) सभी लेन एवं स्ट्रीट पर एक लेन को आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर टैंडर, पुलिस वाहन इत्यादि के प्रवाह के लिए बाधा रहित रखा जाए। इस लेन में पार्किंग की अनुमति नही दी जाएगी।

13. **इलेक्ट्रीक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा.**– (1) सिविक एजेंसी ई–रिक्शा एवं अन्य इलेक्ट्रीक वाहनों के पार्किंग के लिए रात्रि पार्किंग स्थलों की पहचान कर जगह उपलब्ध कराएंगे। इन पार्किंग स्थलों पर ऐसे वाहनों के लिए वैध चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।

(2) मांग के अनुसार इलेक्ट्रीक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा के साथ सामान्य पार्किंग स्पेस भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें समय के साथ वृद्धि होने की सम्भावना है।

14. **पार्किंग राजस्व का उपयोग.–** सिविक एजेंसी पार्किंग राजस्व का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पार्किंग स्पेस के विकास, पैदल चालकों के संरक्षा से संबंधित स्थानीय विकास कार्यों, एन एम वी लेन्स तथा सड़क संरक्षा के लिए प्रयास करेगी।

15. **अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों में अधिक समय तक ठहरने के लिए जुर्माने तथा नो पार्किंग जोन में जुर्माने का प्रवर्तन.–** (1) सभी अवैध रूप से पार्क किये गये वाहनों जिसमें नो–पार्किंग जोन में पार्क किए गए और अधिकृत पार्किग क्षेत्रों में अधिक समय तक रूकने वाले वाहन शामिल है को जब्त एवं हटा दिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाए।
(2) 60 फुट या इससे अधिक आर ओ डब्ल्यू की सड़कों पर अवैध पार्किग के मामले में दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों को टो करने के लिए प्राथमिक एजेंसी होगी । अन्य सड़क एवं क्षेत्रों के मामले में वाहन को उठाने एवं जुर्माना लगाने की जिम्मेवारी सिविक एजेंसी की होगी।

16. **खटारा वाहन.–** (1) कोई भी खटारा वाहन (पेट्रोल एवं सीएनजी वाहनों के लिए 15 वर्ष एवं डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु से अधिक) सार्वजनिक सड़क पर खड़ा पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और खटारा वाहन के लिए पार्किंग का साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही छोड़ा जाएगा और इस आशय का वचन लिया जाएगा कि दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाया नहीं जाएगा और मामले के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाएगा ।
(2) कोई भी खटारा वाहन जो 60 फुट या इससे कम आर ओ डब्ल्यू की सड़क पर खड़ा पाया जाता है उसे सीविक एजेंसी द्वारा जब्त किया जाएगा । ऐसे वाहन यदि 60 फुट या इससे अधिक आर ओ डब्ल्यू की सड़कों पर खड़ा पाया जाता है तो उसे दिल्ली यातायात पुलिस एवं सिविक एजेंसी के संयुक्त दल द्वारा जब्त किया जाएगा ।

17. **टोंइग प्रभार.–** (1) यदि कोई वाहन ऐसी जगह खड़ा किया गया हो जहां पार्किंग कानूनी तौर पर निषिद्व है या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के किसी प्रावधान एवं नियम का उल्लंघन करते पाया गया है और वाहन को टोईंग सर्विस द्वारा हटाया गया या जब्त किया गया है, मामले के अनुसार टोइंग प्रभार में मैन पावर का प्रभार तथा जब्त वाहन के लिए पार्किंग /कब्जा प्रभार निम्न प्रकार होंगे :–

क्रम सं0 (1)	वाहन का संवर्ग (2)	टोंइग प्रभार (3)	पार्किंग /कब्जा प्रभार प्रति दिन या उसका भाग (वाहन के टोइंग /जब्त होने के 48 घंटे की समाप्ति के बाद) (4)
1.	दो पहिया /टीएसआर/ ई–रिक्शा	₹ 200/–	₹ 200/–
2.	हल्के यात्री वाहन (कार, जीप, वैन इत्यादि)	₹ 400/–	₹ 500/–
3.	हल्के माल वाहन	₹ 1000/–	₹ 1000/–
4.	मध्यम यात्री वाहन, भारी यात्री वाहन, मध्यम माल वाहन, भारी माल वाहन	₹ 1500/–	₹ 1500/–
5.	मल्टी एक्सल ट्रेलर	₹ 2000/–	₹ 2000/–

बशर्ते कि सात दिनों से ज्यादा वाहनों की अभिरक्षा के लिए प्रभार राशि उपरोक्त राशि का दुगना होगा। यदि जब्त /टो किया गया वाहन 90 दिनों की अवधि के अंदर छुडाया नहीं कराया जाता है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज पते के अनुसार पंजीकृत मालिक को 15 दिनों का नोटिस जारी किया जाए कि वाहन को 15 दिनों में छुडाया जाए। यदि पंजीकृत मालिक वाहन को 15 दिनों में छुडाने में असफल रहता है तो ऐसे वाहन को जब्त करने वाले/टोइंग एजेंसी द्वारा सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से, तथा उनके नाम पर,

(वर्षा जोशी)
सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)

दिनांक 29.01.2018